उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-136/2018/2633/92-2-18-57जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 15 अक्टूबर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में कार्यरत रहने के दौरान शासन/विभागाध्य व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/आदेशों की अवहेलना किये जाने एवं उच्चाधिकारियों को गलत सूचना प्रेषित किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड--फैजाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) ससमय शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-136/2018/2633(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-715/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0-श्री हसनैन अहमद/2018-19 दिनांक रहित पत्र के क्रम में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-मेरठ को आरोप पत्र की 02 प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित आरोप पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराकर तमीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद।

4- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in